सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड देहरादून
दूरभाष : 0135–2675780,2675779
ईमेलः uicddn@gmail.com http://uic.gov.in

सख्या /उ0सू0आ0/ 2014 दिनॉक जुलाई 2014

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   उत्तराखण्ड – देहरादून ।

विषय– अतिरिक्त षुल्क के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयोग के संज्ञान में आया है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस प्रारूप पर किया जाता है, में अतिरिक्त शुल्क के मांग से संतुष्ट न होने पर अपील करने हेतु अपीलीय अधिकारी का नाम व पता का उल्लेख मांग पत्र में नहीं किया जाता है। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 7 की उपधारा 3 (b) में स्पष्ट प्राविधान है कि–

" प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विषिष्टियां, समय–सीमा, प्रकिया और कोई अन्य प्रारूप भी है, विनिष्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उनके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा। "

लोक सूचना अधिकारी जब अतिरिक्त शुल्क की मांग आवेदक से करते है तब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 7 की उपधारा 3

(b) के प्राविधानों के तहत विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता का उल्लेख भी मांग पत्र में अवश्य किया जाए ।

अतः अतिरिक्त शुल्क की मांग हेतु निर्धारित प्रारूप, इस पत्र के साथ संलग्न कर, इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से विभाग के समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही भविष्य में अतिरिक्त शुल्क की मांग बिन्दुवार तथा सामग्री/व्यय की मदवार आवेदकों से किए जाने के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय

ह0/–

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रस्तावित प्रारूप
(अतिरिक्त षुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र)

कार्यालय का नाम व पता

....

....

पत्रावली संख्या ....
दिनांक..................................

विषय : – अतिरिक्त षुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

श्री / श्रीमती ....
....
....

कृपया अपने दिनांक....................के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू0.. अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त षुल्क का विवरण (बिन्दुवार)

कम0 संख्या / बिन्दु संख्या	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराषि

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से प्रेषित करें / अथवा कार्यालय में नकद जमा करें / करवा दें।

मांगी गयी सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेगा ।

यदि मांगी गई अतिरिक्त शुल्क की धनराशि आपको अत्यधिक लगती है तो उस अत्यधिक शुल्क के पुनर्विलोकन हेतु विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है के समक्ष 30 दिन के अन्दर अपील दायर कर सकते है –

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता

....

....

....

हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी
(नाम व कार्यालय की मुहर)